बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक

संख्या–2/सी1–204/1991गृ0आ0......................../ राज्य सरकार की आरक्षण नीति में संशोधन के फलस्वरूप बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 36वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा विभिन्न सेवा संवर्गो में अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्ति के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे दायर एल0पी0ए0 सं0–692/99, देवेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश से उत्पन्न एम0जे0सी0 सं0–1938/2000 में पारित आदेश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित की गयी संशोधित सूची के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग), पटना के पत्र सं0–3298 दिनांक 30.04.04 के द्वारा विभिन्न सेवा संवर्ग हेतु चयनित एवं तदनुसार नियुक्त 27 पदाधिकारियों के सेवा संवर्ग में परिवर्तन किया गया। जिसके आधार पर बिहार पुलिस सेवा में नियुक्त श्री अमजद अली (संशोधित मेधा क्रमांक–37 एवं आरक्षण कोटि 05) तथा श्री अरविन्द ठाकुर (संशोधित मेधा क्रमांक 60 एवं आरक्षण कोटि 06) को बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग आवंटित किया गया तथा इस निर्णय के कार्यान्वयन हेतु तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र सं0–13430, दिनांक 22.12.08 के द्वारा सभी संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किया गया। सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0–7080 दिनांक 22.07.07 के द्वारा उक्त दोनों पदाधिकारियों को उनके द्वारा तत्समय धारित बिहार पुलिस सेवा संवर्ग में प्रथम नियुक्ति की तिथि से तत्समय प्रवृत बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि में नियुक्त किया गया। उक्त अधिसूचना के आलोक में उक्त दोनों पदाधिकारियों को विभागीय पत्र सं0–7110 दिनांक 27.10.2009 के द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना में योगदान हेतु दिनांक 31.10.09 के अपराह्न से विरमित कर दिया गया।

2. उक्त संवर्ग परिवर्तन के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस0एल0पी0 सं0–204/2010 एवं इससे उत्पन्न सिविल अपील सं0–857/2016 में दिनांक 03.02.2016 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 09.08.2016 के मद सं0–1 में लिये गये निर्णय को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0–11195, दिनांक 17.08.2016 के द्वारा गृह विभाग को सूचित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश (कंडिका–9) निम्नवत हैः–

(i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 सं0–204/2010 से उत्पन्न सिविल अपील सं0–857/2016 में दिनांक 03.02.2016 को पारित आदेश के अनुपालन में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 09.08.2016 में मद संख्या–1 के रूप में निर्णय लिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 36वीं बैच के अनुशंसित निम्नांकित कुल 7 (सात) पदाधिकारी को उनके नाम के सामने स्तम्भ 5 में अंकित उनके प्रारंभिक नियुक्ति (Initial Appointment) के सेवा/संवर्ग में पुनः नियुक्ति की कार्रवाई की जायः–

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम	विभागीय पत्रांक 13430 दिनांक 22.12.2008 के द्वारा आवंटित संवर्ग	सेवा/संवर्ग जिसमें सम्प्रति कार्यरत है	एस0एल0पी0 सं0–204/2010 में पारित आदेश के आलोक में परिवर्तित होकर प्रारंभिक नियुक्ति का सेवा/संवर्ग
1	श्री मिर्जा आरिफ रजा	बिहार निर्वाचन सेवा	बिहार प्रशासनिक सेवा	बिहार प्रशासनिक सेवा
2	श्री अरूण कुमार ठाकुर	बिहार नियोजन सेवा	बिहार प्रशासनिक सेवा	बिहार प्रशासनिक सेवा
3	श्री अश्विनी कुमार	बिहार प्रशासनिक सेवा	उत्पाद निरीक्षक	उत्पाद निरीक्षक
4	श्री वीरेन्द्र प्रसाद	बिहार नियोजन सेवा	बिहार प्रशासनिक सेवा	बिहार प्रशासनिक सेवा
5	श्री अरविन्द ठाकुर	बिहार प्रशासनिक सेवा	बिहार प्रशासनिक सेवा	बिहार पुलिस सेवा
6	श्री अमजद अली	बिहार प्रशासनिक सेवा	बिहार प्रशासनिक सेवा	बिहार पुलिस सेवा
7	श्री अनिल कुमार सिंह	बिहार शिक्षा सेवा	बिहार शिक्षा सेवा	बटालियन कमांडेट

(ii) इन पदाधिकारियों की वरीयता उनके प्रारंभिक नियुक्ति सेवा संवर्ग में 36वीं बैच के अनुशंसित सूची के मेधा क्रम के अनुसार होगी।

3. सरकार द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के आलोक में :–

(i) श्री अमजद अली (संशोधित मेधा क्रमांक–37 एवं आरक्षण कोटि 05) तथा श्री अरविन्द ठाकुर (संशोधित मेधा क्रमांक 60, आरक्षण कोटि 06) को तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0–7780 दिनांक 22.07.2009 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग में प्रथम नियुक्ति की तिथि से तत्समय प्रवृत बिहार पुलिस सेवा के मूल कोटि में नियुक्त किया जाता है।

(ii) श्री अमजद अली को बिहार पुलिस सेवा के वर्ष 2003 की वरीयता सूची में श्री रविन्द्र कुमार (वरीयता क्रमांक–101क) के नीचे उनके पूर्व के क्रमांक–102 पर तथा श्री अरविन्द ठाकुर की वरीयता इनके पूर्व के वरीयता क्रमांक–103 पर पुनर्निधारित की जाती है। साथ हीं वर्ष 2009 की वरीयता सूची में इनकी पूर्व निर्धारित वरीयता क्रमांक 56 एवं 57 को बहाल करते हुये वर्ष 2014 की वरीयता सूची में श्री अमजद अली को श्री प्राणतोष कुमार दास (बैंच 35वीं) वरीयता क्रमांक **"8"** के नीचे **"8क"** तथा श्री अरविन्द ठाकुर की वरीयता, श्री अमजद अली को एतद् द्वारा निर्धारित वरीयता क्रमांक **"8क"** के नीचे **"8ख"** पर निर्धारित की जाती है।

(iii) उपर्युक्त दोनों पदाधिकारियों को बिहार पुलिस सेवा के कार्यकाल में विभागीय अधिसूचना सं0–6837 दिनांक 08.08.2008 द्वारा वरीय पुलिस उपाधीक्षक स्तर में दी गयी प्रोन्नति को बहाल किया जाता है तथा इस प्रकार इसके आधार पर इनसे कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि से आगे की देय प्रोन्नति विचारणीय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(दुर्गेश कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञांपाक–2/सी1–204/1991गृ0आ0......................../ पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह0/–
(दुर्गेश कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञांपाक–2/सी1–204/1991गृ0आ0 8535/ पटना, दिनांक 25.10.11

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0), विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/गृह सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1 एवं 5, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना/आई0टी0, प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/10/11

सरकार के उप सचिव